THE MINISTER OF STATE IN THE MINSTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMEN (THE DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): (a) and (b) While no formal assessment has been held, the National Commission for Women has been actively discharging its functions as specified in Section 10 of the National Commission for Women Act 1990. During the last three years, the Commission, inter-alia, has—

(a) reviewed several laws affecting women and recommended amendments thereto so as to sugggst remedial legislative measures to overcome the shortcomings in such legislations;

(b) looked into over 800 cases relating to atrocities, deprivation of women's rights etc. and taken them up with the appropriate authorities;

(c) organised 23 Workshops/Seminars/Conferences on issues concerning women and published reports thereon;

(d) commissioned about 31 study projects on gender issues;

(e) organised public enquiries on "women in unorganised sector" and "crimes against women";

(f) set up Six Expert Committees on various subjects, including social security, laws and legislations, justice delivery system, custodial justice and development of tribal women to study special issues; and

(g) organised consultations with Lady Members of Parliament and NGOs on issues concerning women.

खेल छात्रावास योजना के अन्तर्गत छात्रावासों का निर्माण न किया जाना

4160. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री आर. मोहनन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेल छात्रावास योजना (स्पोर्ट्स हास्टल स्कीम) के अंतर्गत कई राज्यों में छात्रावासों का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितने और किन-किन क्षेत्रों में छात्रावासों का निर्माण किया गया है; और

(ग) अन्य राज्यों में ऐसे छात्रावासों का निर्माण न किए जाने के क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) भारतीय-खेल प्राधिकरण की खेल छात्रावास की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों से खेल छात्रावास स्थापित करने के लिए आवासों का निर्माण करना या पूर्व निर्मित आवासों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है। ऐसे छात्रावास 17 राज्यों में स्थापित किए गए हैं।

(ख) अलवर, भोपाल, कटक, सिलिगुड़ी कलकत्ता, गांधीनगर, गोवा, कालीकट, मद्रास, सिकंदराबाद, बंगलौर, भिवानी, बिलासपुर, चण्डीगढ़, दीमापुर, इम्फाल और गुवाहाटी में 18 खेल छात्रावास स्थापित किए गए है।

(ग) कुछ राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश में उनके अपने खेल छात्रावास हैं। कुछ अन्यों के पास एस. पी. डी. ए. योजनाओं के अंतर्गत छात्रावास हैं, जबकि कुछ राज्य अभी ऐसे छात्रावासों की योजना बना रही है।